

18/4/2026

भावीवका पक्षकारा उपस्थित साक्ष्य  
वादी ने जवाब उपस्थित नहीं है। भावीवका  
वादी एक मात्र जवाब को ही उपस्थित करना  
चाहते हैं। मालूमदा भाव व्यक्त रूप से जवाब  
को उपस्थित रखा जावे। उक्त उद्देश्य  
अंगीकार है।

पत्रावली वास्तु साक्ष्य वादी। निरुद्ध  
दिनांक 20-4-2026 को पत्र ले।

जिला न्यायाधीश  
सवाई माधोपुर (राज.)